न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 219 / 2022

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पुनीत इन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–– वादी

बनाम

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती रूपेन्द्र कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. खुशनीत कौर बराड़ पुत्री श्री सुखविन्द्र सिंह पत्नी श्री हरसंगीत सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल वजीरा पट्टी, फरीदकोट ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1,2,3)
	पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 06.01.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहिन है । वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम र वाके चक 16 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76 / 21 का मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता संख्या 17 / 18 के मुरब्बा नम्बर 44 की 6.325 है0 कृषि भूमि में से 1 / 4 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई हैं तथा जदी जायदाद (पैतृक सम्पत्ति) है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। उक्त सम्पति पैतृक होने के कारण वादी व [illegible] संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा बनता है [illegible] प्राप्त [illegible] का हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सहमति से उक्त भूमि [illegible] बंटवारा [illegible] वादी को उक्त भूमि में से वाके चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता [illegible] 76 / 21 का मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में काश्त कर रहा है तथा उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा । वादी एक पढा लिखा व अग्रणी काश्तकार है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:50 IST
Reason: SelfAttested

मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम से दर्ज ना होने के कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा, मगर दिनांक 01.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

(1) यह कि वाके चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/21 का मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे ।

(2) यह कि उपरोक्तानुसार उक्त भूमि भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/ 21 का मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज किया जावे। लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है, ताकि सनद रहें। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 16 जैड, पटवार हल्का 18 जैड, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 76/21, जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 16 जैड, पटवार हल्का 18 जैड, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 17/18, पेश की। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो जमाबंदी पर स्वीकृत नामांतकरण 473/15.06.2020 विरासतन का नोट अंकित है। उक्त प्रस्तुत जमाबंदियों के अवेलोकन से वाद ग्रस्त आराजी का पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझोता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–5(1)राज/6/97/10 दिनांक 8–9–97 के अनुसार सहकृषकों में आपस में सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार है तथा पुत्र अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए0आई0आर0 1976 एस सी–807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधि0 के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम या ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिवारिक समझौते को अधिक महत्वता दी गई है। पारिवारिक समझौता धोखा–धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझोता को मान्यता दी जा सकती है जिससे विवाद कम हो,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:50 IST
Reason: Self Attested

पारिवारिक समझोता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–222 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र–पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती हैं जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवं बंटवारा करवा सकता है। आरआरडी 1981 के पेज 512 एवं 1978 आरआरडी पेज 375 (एच0सी0) में उपरोक्त की पुष्टि की गई है।

–:: आदेश ::–

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 Division of holding in a suit decreed on the basis of agreement *If during pendency of a suit for division of holding the co-tenant in the suit के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार किया जाकर राजीनामा के आधार पर वाद निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 16 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 76/21 का मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.01.2023 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2023.03.22 17:53:50 IST
Reason: SelfAttested

06.01.23

(मनोज कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर